परंतु यह और कि भारत से बाहर किसी स्रोत से उपार्जित किसी आय की बाबत उतनी आय को इस धारा के प्रयोजन के लिए गणना में लिया जाएगा जो निर्धारिती द्वारा या उसकी ओर से उस पूर्ववर्ष के अंत से, जिसमें ऐसी आय उपार्जित की जाती है, छह मास की अवधि के भीतर या ऐसी और अवधि के भीतर, जिसे सक्षम प्राधिकारी इस निमित्त अनुज्ञात करे, संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा के रूप में भारत में लाई जाती है ।

(2) इस धारा के अधीन कोई कटौती तब तक अनुज्ञात नहीं की जाएगी जब तक निर्धारिती, ऐसी विशिष्टियों को, जो विहित की जाएं, वर्णित करते हुए आय की विवरणी के साथ, विहित प्ररूप में विहित प्राधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र नहीं दे देता है ।

(3) इस धारा के अधीन कोई कटौती भारत से बाहर किसी स्रोत से उपार्जित किसी आय की बाबत तब तक अनुज्ञात नहीं की जाएगी जब तक निर्धारिती, आय की विवरणी के साथ विहित प्ररूप में, ऐसे प्राधिकारी या प्राधिकारियों से, जो विहित किए जाएं, प्रमाणपत्र नहीं दे देता है ।

(4) जहां किसी पूर्ववर्ष के लिए इस धारा में निर्दिष्ट किसी आय की बाबत किसी कटौती का दावा किया गया है और वह अनुज्ञात की गई है वहां किसी निर्धारण वर्ष में इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन ऐसी आय की बाबत कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "नियंत्रक" का वही अर्थ है जो पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ख) में है ; 1970 का 39

(ख) "एकमुश्त" के अंतर्गत ऐसे स्वामिस्व की बाबत, जो नहीं लौटाई जानी है, कोई अग्रिम संदाय भी आता है ;

(ग) "पेटेंट" से पेटेंट अधिनियम, 1970 के अधीन कोई पेटेंट (जिसमें परिवर्धन का कोई पेटेंट सम्मिलित है) अभिप्रेत है ; 1970 का 39

(घ) "पेटेंटी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो आविष्कार का असली और मूल आविष्कारक है, जिसका नाम पेटेंट अधिनियम, 1970 के अनुसार पेटेंटी के रूप में पेटेंट रजिस्टर में दर्ज है और जिसके अंतर्गत प्रत्येक ऐसा व्यक्ति आता है जो आविष्कार का असली और मूल आविष्कारक है, यदि उस पेटेन्ट की बाबत एक व्यक्ति से अधिक व्यक्ति उस अधिनियम के अधीन पेटेंटी के रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं ; 1970 का 39

(ङ) "परिवर्धन का पेटेंट" का वही अर्थ है जो पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (थ) में है ; 1970 का 39

(च) "पेटेंटीकृत वस्तु" और "पेटेंटीकृत प्रक्रिया" के क्रमशः वही अर्थ हैं जो पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ण) में हैं ; 1970 का 39

(छ) किसी पेटेंट की बाबत "स्वामिस्व" से, निम्नलिखित के लिए प्रतिफल अभिप्रेत है (जिसके अंतर्गत एकमुश्त प्रतिफल है किंतु इसके अंतर्गत कोई ऐसा प्रतिफल नहीं है जो "पूंजी अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य प्राप्तकर्ता की आय या पेटेंटीकृत प्रक्रिया या पेटेंटीकृत वस्तु के उपयोग से विनिर्मित उत्पाद के विक्रय के लिए प्रतिफल है)—

(i) किसी पेटेंट की बाबत सभी या किसी अधिकार का अंतरण (जिसके अंतर्गत किसी अनुज्ञप्ति का अनुदत्त करना है) ; या

(ii) किसी पेटेंट के कार्यकरण या उपयोग से संबंधित कोई सूचना देना ; या

(iii) किसी पेटेंट का उपयोग करना ; या

(iv) उपखंड (i) से उपखंड (iii) में निर्दिष्ट क्रियाकलापों के संबंध में कोई सेवा उपलब्ध कराना ;

(ज) "असली और मूल आविष्कारक" का वही अर्थ है जो पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (म) में है ।'। 1970 का 39

धारा 80प के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

40. आय-कर अधिनियम की धारा 80प के स्थान पर, निम्नलिखित धारा 1 अप्रैल, 2004 से रखी जाएगी, अर्थात् :—

किसी निःशक्त व्यक्ति की दशा में कटौती।

'80प. (1) किसी ऐसे व्यष्टि की, जो निवासी है और पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा निःशक्त व्यक्ति प्रमाणित है, कुल आय की संगणना करने में पचास हजार रुपए की राशि की कटौती अनुज्ञात की जाएगी :

परंतु जहां ऐसा व्यष्टि गंभीर रूप से निःशक्त व्यक्ति है वहां इस उपधारा के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो "पचास हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "पचहत्तर हजार रुपए" शब्द रख दिए गए हों ।

(2) इस धारा के अधीन किसी कटौती का दावा करने वाला प्रत्येक व्यष्टि, ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए, चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्र की एक प्रति उस निर्धारण वर्ष की बाबत, जिसके लिए कटौती का दावा किया गया है, धारा 139 के अधीन आय-कर की विवरणी के साथ प्रस्तुत करेगा :

परंतु जहां निःशक्तता की स्थिति के प्रभाव का उपर्युक्त प्रमाणपत्र में नियत किसी अवधि के पश्चात् पुनर्निर्धारण अपेक्षित हो, वहां इस धारा के अधीन उस पूर्ववर्ष के अवसान के पश्चात् आरंभ होने वाले किसी पूर्ववर्ष की बाबत किसी निर्धारण वर्ष के लिए, जिसके दौरान उपर्युक्त निःशक्तता प्रमाणपत्र समाप्त हो गया है, कटौती तब तक अनुज्ञात नहीं की जाएगी जब तक उस प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए, चिकित्सा प्राधिकारी से अभिप्राप्त एक नया प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है और उसकी एक प्रति धारा 139 के अधीन आय-कर की विवरणी के साथ प्रस्तुत नहीं कर दी जाती है ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "निःशक्तता" का वही अर्थ है जो निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 2 के खंड (झ) में है ; 1996 का 1

(ख) "चिकित्सा प्राधिकारी" से निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 2 के खंड (त) में निर्दिष्ट चिकित्सा प्राधिकारी अभिप्रेत है ; 1996 का 1

(ग) "निःशक्त व्यक्ति" से निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 2 के खंड (न) में निर्दिष्ट व्यक्ति अभिप्रेत है ; 1996 का 1

(घ) "गंभीर रूप से निःशक्त व्यक्ति" से निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 56 की उपधारा (4) में यथानिर्दिष्ट अस्सी प्रतिशत या अधिक की किसी एक या अधिक निःशक्तताओं से ग्रस्त व्यक्ति अभिप्रेत है ।'। 1996 का 1

41. आय-कर अधिनियम की धारा 88 में, 1 अप्रैल, 2004 से,— धारा 88 का संशोधन।

(क) उपधारा (2) में,—

(i) खंड (xivक) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(xivख) जो—

(क) भारत में स्थित किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था को ;

(ख) उपधारा (4) में विनिर्दिष्ट किन्हीं व्यक्तियों की पूर्णकालिक शिक्षा के प्रयोजन के लिए,

चाहे प्रवेश के समय या उसके पश्चात् (किसी विकास फीस या संदान या उसी प्रकार के संदाय के लिए किए गए किसी संदाय को अपवर्जित करते हुए) अध्यापन फीस के रूप में है ;";

(ii) खंड (xvi) में स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात् :—

'**स्पष्टीकरण**—इस खंड के प्रयोजनों के लिए,—

(i) "उपयुक्त पूंजी पुरोधरण" से ऐसा पुरोधरण अभिप्रेत है जो भारत में बनाई गई और रजिस्ट्रीकृत किसी पब्लिक कंपनी या किसी पब्लिक वित्तीय संस्था द्वारा किया गया है और ऐसे पुरोधरण के समस्त आगमों का उपयोग पूर्ण रूप से और अनन्य रूप से धारा 80झक की उपधारा (4) में निर्दिष्ट किसी कारबार के प्रयोजनों के लिए किया जाता है ;

1956 का 1 (ii) "पब्लिक कंपनी" का वही अर्थ है जो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 3 में है ;

1956 का 1 (iii) "पब्लिक वित्तीय संस्था" का वही अर्थ है जो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 4क में है ;';

(ख) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(2क) उपधारा (2) के उपबंध किसी आस्थगित वार्षिकी की किसी संविदा से भिन्न बीमा पालिसी पर दिए गए केवल उतने किसी प्रीमियम या अन्य संदाय को ही लागू होंगे जो बीमा की गई वास्तविक पूंजी राशि के बीस प्रतिशत से अधिक नहीं है ।

स्पष्टीकरण—किसी ऐसी वास्तविक पूंजी राशि की संगणना करने में,—

(i) लौटाए जाने के लिए करार किए गए किन्हीं प्रीमियमों के मूल्य पर ; या

(ii) वास्तव में बीमा की गई राशि से अधिक बोनस के रूप में या अन्यथा किसी फायदे को, जो किसी व्यक्ति द्वारा पालिसी के अधीन प्राप्त किया जाना है या किया जा सकता है,

गणना में नहीं लिया जाएगा ।";

(ग) उपधारा (4) में, खंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(घ) उस उपधारा के खंड (xivख) के प्रयोजन के लिए किसी व्यष्टि की दशा में ऐसे व्यष्टि के कोई दो बालक ।";

(घ) उपधारा (5) में, दूसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह और भी कि जहां उपधारा (2) के खंड (xivख) में विनिर्दिष्ट कोई कुल राशि किसी बालक की बाबत बारह हजार रुपए से अधिक हो जाती है वहां ऐसी राशि की बाबत उपधारा (1) के अधीन कटौती उतनी कुल राशि के प्रतिनिर्देश से अनुज्ञात की जाएगी जो ऐसे बालक की बाबत बारह हजार रुपए की राशि से अधिक नहीं होती है ।"।

42. आय-कर अधिनियम की धारा 88ख में, "पन्द्रह हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर "बीस हजार रुपए" शब्द 1 अप्रैल, 2004 से रखे जाएंगे । धारा 88ख का संशोधन।

43. आय-कर अधिनियम की धारा 90 में, 1 अप्रैल, 2004 से,— धारा 90 का संशोधन।

(i) उपधारा (1) के खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(क)(i) ऐसी आय की बाबत, जिस पर इस अधिनियम के अधीन आय-कर और उस देश में आय-कर दोनों का संदाय किया जा चुका है ; या

(ii) पारस्परिक आर्थिक संबंधों, व्यापार और विनिधान के संवर्धन के लिए इस अधिनियम के अधीन या उस देश में प्रवृत्त तत्समान विधि के अधीन प्रभार्य आय-कर की बाबत,

राहत देने के लिए, या";

(ii) उपधारा (2) के पश्चात् और स्पष्टीकरण से पूर्व निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(3) इस अधिनियम या उपधारा (1) में निर्दिष्ट करार में प्रयुक्त किन्तु परिभाषित न किए गए किसी पद का, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो और इस अधिनियम या करार के उपबंधों से असंगत न हो, वही अर्थ होगा जो केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त जारी की गई राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना में उसका है ।"।

44. आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1) में, 1 अप्रैल, 2004 से,— धारा 115क का संशोधन।

(i) खंड (क) में, "लाभांशों" शब्द के स्थान पर, उन दोनों स्थानों पर, जहां-जहां वह आता है, "धारा 115ण में निर्दिष्ट लाभांशों से भिन्न लाभांश" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (ख) के आरंभिक भाग में, "किसी विदेशी कंपनी की कुल आय में सरकार या किसी भारतीय समुत्थान से प्राप्त स्वामिस्व या तकनीकी सेवाओं के लिए प्राप्त फीसों के रूप में कोई आय " शब्दों के स्थान पर, "धारा 44घक की उपधारा (1) में निर्दिष्ट आय से भिन्न किसी अनिवासी (जो कंपनी नहीं है) या विदेशी कंपनी की कुल आय में, सरकार या किसी भारतीय समुत्थान से प्राप्त स्वामिस्व या तकनीकी सेवाओं के लिए प्राप्त फीसों के रूप में" शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक रखे जाएंगे ।

45. आय-कर अधिनियम की धारा 115कग में, "लाभांशों" शब्द के स्थान पर, जहां-जहां वह आता है, "धारा 115ण में निर्दिष्ट लाभांशों से भिन्न ऐसे लाभांशों" शब्द, अंक और अक्षर 1 अप्रैल, 2004 से रखे जाएंगे । धारा 115कग का संशोधन।

46. आय-कर अधिनियम की धारा 115कगक में, "लाभांशों के रूप में आय" शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, "धारा 115ण में निर्दिष्ट लाभांशों से भिन्न ऐसे लाभांशों के रूप में आय" शब्द, अंक और अक्षर 1 अप्रैल, 2004 से रखे जाएंगे । धारा 115कगक का संशोधन।

धारा 115कघ का संशोधन ।

47. आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (क) में, "आय" शब्द के स्थान पर, "धारा 115ण में निर्दिष्ट लाभांशों के रूप में आय से भिन्न आय" शब्द, अंक और अक्षर 1 अप्रैल, 2004 से रखे जाएंगे ।

धारा 115ग का संशोधन ।

48. आय-कर अधिनियम की धारा 115ग के खंड (ग) में, "व्युत्पन्न आय" शब्दों के स्थान पर, "धारा 115ण में निर्दिष्ट लाभांशों से भिन्न रूप में व्युत्पन्न आय" शब्द, अंक और अक्षर 1 अप्रैल, 2004 से रखे जाएंगे ।

धारा 115ण का संशोधन ।

49. आय-कर अधिनियम की धारा 115ण की उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(1) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में किसी बात के होते हुए भी, और इस धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी निर्धारण वर्ष के लिए किसी देशी कंपनी की कुल आय की बाबत प्रभार्य आय-कर के अतिरिक्त, ऐसी कंपनी द्वारा 1 अप्रैल, 2003 को या उसके पश्चात् लाभांशों के रूप में (चाहे अंतरिम हो या अन्यथा), चाहे वे चालू लाभ या संचित लाभ हों, घोषित, वितरित या संदत्त किसी रकम पर साढ़े बारह प्रतिशत की दर से अतिरिक्त आय-कर (जिसे इसमें इसके पश्चात् वितरित लाभ पर कर कहा गया है) प्रभारित किया जाएगा ।"।

धारा 115द का संशोधन ।

50. आय-कर अधिनियम की धारा 115द में, उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(2) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में किसी बात के होते हुए भी, विनिर्दिष्ट कंपनी या किसी पारस्परिक निधि द्वारा अपने यूनिट धारकों को वितरित आय की कोई रकम कर के लिए प्रभार्य होगी और ऐसी विनिर्दिष्ट कंपनी या पारस्परिक निधि ऐसी वितरित आय पर साढ़े बारह प्रतिशत की दर से अतिरिक्त कर का संदाय करने का दायी होगी :

परंतु इस उपधारा की कोई बात, ऐसी निधियों से किए गए किसी विवरण की बाबत, —

(क) यूनिट धारकों के किसी विनिर्दिष्ट उपक्रम के प्रशासक द्वारा; या

(ख) खुली साधारण शेयरोन्मुखी निधि के किसी यूनिट धारक को,

1 अप्रैल, 2003 से प्रारंभ होने वाली एक वर्ष की अवधि के लिए संवितरित किसी आय की बाबत लागू नहीं होगी ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "प्रशासक" और "विनिर्दिष्ट कंपनी" का वही अर्थ है, जो धारा 10 के खंड (35) के स्पष्टीकरण में क्रमशः उनका है।' ।

धारा 115ध का संशोधन ।

51. आय-कर अधिनियम की धारा 115ध में, "भारतीय यूनिट ट्रस्ट या किसी पारस्परिक निधि द्वारा संवितरित आय का संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति और भारतीय यूनिट ट्रस्ट" शब्दों के स्थान पर, "भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 2002 की धारा 2 के खंड (ज) में यथानिर्दिष्ट कंपनी या किसी पारस्परिक निधि द्वारा संवितरित आय का संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति और विनिर्दिष्ट कंपनी" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे । 2002 का 58

धारा 115न का संशोधन ।

52. आय-कर अधिनियम की धारा 115न में, आरंभिक भाग में, "भारतीय यूनिट ट्रस्ट या किसी पारस्परिक निधि द्वारा संवितरित आय का संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति और भारतीय यूनिट ट्रस्ट" शब्दों के स्थान पर, " भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 2002 की धारा 2 के खंड (ज) में यथानिर्दिष्ट कंपनी या किसी पारस्परिक निधि द्वारा संवितरित आय का संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति और विनिर्दिष्ट कंपनी" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे । 2002 का 58

धारा 132 का संशोधन।

53. आय-कर अधिनियम की धारा 132 में, 1 जून, 2003 से,—

(क) उपधारा (1) में,—

(i) खंड (iii) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु ऐसी तलाशी के परिणामस्वरूप पाए गए कोई सोना-चांदी, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज, जो कारबार का स्टाक व्यापार है, अभिगृहीत नहीं की जाएगी किंतु प्राधिकृत अधिकारी ऐसे कारबार के व्यापार स्टाक का टिप्पण या सूची तैयार करेगा ;";

(ii) दूसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह भी कि दूसरे परंतुक की कोई बात किसी मूल्यवान वस्तु या चीज, जो कारबार का व्यापार स्टाक है, की दशा में लागू नहीं होगी ;";

(ख) उपधारा (8) में, "धारा 158खग के खंड (ग) के अधीन" शब्दों, अंक, अक्षरों और कोष्ठकों के स्थान पर, "धारा 153क या धारा 158खग के खंड (ग) के अधीन" शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक रखे जाएंगे ।

धारा 132ख का संशोधन।

54. आय-कर अधिनियम की धारा 132ख में, 1 जून, 2003 से,—

(क) उपधारा (1) के खंड (i) में,—

(i) "ब्लाक अवधि के लिए अध्याय 14ख के अधीन" शब्दों, अंकों और अक्षर के स्थान पर, "धारा 153क और उस पूर्ववर्ष से, जिसमें, यथास्थिति, तलाशी आरंभ की जाती है, या अध्यपेक्षा की जाती है या ब्लाक अवधि के लिए अध्याय 14ख के अधीन निर्धारण के पूरा होने पर दायित्व की रकम का अवधारण किया जाता है, सुसंगत वर्ष के निर्धारण के अधीन" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ii) पहले परंतुक में, "जहां ऐसी किसी आस्ति के अर्जन की प्रकृति और स्रोत को निर्धारण अधिकारी के समाधानप्रद रूप में स्पष्ट कर दिया जाता है" शब्दों के स्थान पर, "जहां संबंधित व्यक्ति उस मास के, जिसमें आस्ति अभिगृहीत की गई थी, अंत से तीस दिन के भीतर निर्धारण अधिकारी को आस्ति के उन्मोचन के लिए आवेदन करता है और ऐसी किसी आस्ति की प्रकृति और स्रोत को निर्धारण अधिकारी के समाधानप्रद रूप में स्पष्ट कर दिया जाता है" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (4) के खंड (ख) में "अध्याय 14ख के अधीन" शब्दों, अंकों और अक्षर के स्थान पर, "धारा 153क के अधीन या अध्याय 14ख के अधीन" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

धारा 133क का संशोधन।

55. आय-कर अधिनियम की धारा 133क में, 1 जून, 2003 से,—

(क) उपधारा (3) के खंड (iक) के परंतुक में, खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ख) उसके लिए, यथास्थिति, मुख्य आयुक्त या महानिदेशक का अनुमोदन प्राप्त किए बिना दस दिन से अधिक अवधि के लिए (अवकाशों को छोड़कर) ऐसी लेखा पुस्तकों या अन्य दस्तावेजों को अपनी अभिरक्षा में नहीं रखेगा,";

(ख) उपधारा (6) के पश्चात् और स्पष्टीकरण के पूर्व, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु, यथास्थिति, आय-कर के संयुक्त निदेशक या संयुक्त आयुक्त का अनुमोदन प्राप्त किए बिना किसी सहायक निदेशक या उपनिदेशक या निर्धारण अधिकारी या कर वसूली अधिकारी या निरीक्षक द्वारा उपधारा (1) के अधीन कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी ;';

(ग) उपधारा (6) के नीचे स्पष्टीकरण में खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(क) "आय-कर प्राधिकारी" से अभिप्रेत है कोई आयुक्त, संयुक्त आयुक्त, कोई निदेशक, कोई संयुक्त निदेशक, कोई सहायक निदेशक या कोई उपनिदेशक या कोई निर्धारण अधिकारी या कर वसूली अधिकारी और उपधारा (1) के खंड (i), उपधारा (3) के खंड (i) और उपधारा (5) के प्रयोजनों के लिए इसके अंतर्गत कोई आय-कर निरीक्षक भी है ;'।

धारा 139 का संशोधन।

56. आय-कर अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (1क) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(1ख) उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उपधारा (1) के अधीन आय की विवरणी देने के लिए अपेक्षित कोई व्यक्ति, जो कंपनी है या कंपनी से भिन्न कोई व्यक्ति है, अपने विकल्प पर ऐसी स्कीम के अनुसार, जो बोर्ड द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाए, और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाएं, नियत तारीख को या उससे पूर्व ऐसे प्ररूप में (जिसके अंतर्गत कोई फ्लापी, डिस्कैट, मेग्नेटिक कार्टरिज टेप, सीडी-रोम या कोई अन्य कंप्यूटर पठनीय संचार माध्यम भी है) और ऐसी रीति में, जो उस स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाए, किसी पूर्ववर्ष के लिए अपनी आय की विवरणी देगा और ऐसी दशा में, ऐसी स्कीम के अधीन दी गई आय की विवरणी उपधारा (1) के अधीन दी गई आय की विवरणी समझी जाएगी और इस अधिनियम के उपबंध तदनुसार लागू होंगे ।"।

धारा 140क का संशोधन।

57. आय-कर अधिनियम की धारा 140क में, 1 जून, 2003 से,—

(क) उपधारा (1) में, "यथास्थिति, धारा 158खग" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, "यथास्थिति, धारा 153क या धारा 158खग" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (2) में, "धारा 158खग के अधीन निर्धारण" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, "धारा 153क या धारा 158खग के अधीन निर्धारण" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

धारा 143 का संशोधन।

58. आय-कर अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (2) में, 1 जून, 2003 से,—

(क) खंड (i) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु इस खंड के अधीन कोई सूचना 1 जून, 2003 को या उसके पश्चात् निर्धारिती पर तामील नहीं की जाएगी ;";

(ख) खंड (ii) के नीचे परंतुक में, "इस उपधारा के अधीन" शब्दों के स्थान पर, "खंड (ii) के अधीन" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे।

नई धारा 153क, 153ख और 153ग का अंतःस्थापन।

59. आय-कर अधिनियम की धारा 153 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं 1 जून, 2003 से अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

तलाशी या अध्यपेक्षा की दशा में निर्धारण।

"153क. धारा 139, धारा 147, धारा 148, धारा 149, धारा 151 और धारा 153 में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे व्यक्ति की दशा में जहां 31 मई, 2003 के पश्चात् धारा 132 के अधीन तलाशी ली जाती है या धारा 132क के अधीन लेखा बहियों, अन्य दस्तावेजों या किन्हीं आस्तियों की अध्यपेक्षा की जाती है वहां निर्धारण अधिकारी—

(क) ऐसे व्यक्ति को सूचना जारी करेगा जिसमें उससे ऐसी अवधि के भीतर जो सूचना में विनिर्दिष्ट की जाए खंड (ख) में निर्दिष्ट छह निर्धारण वर्षों में आने वाले प्रत्येक निर्धारण वर्ष की बाबत आय की विवरणी ऐसे प्ररूप में और विहित रीति से सत्यापित तथा ऐसी अन्य विशिष्टियां उपदर्शित करने की, जो विहित की जाए, अपेक्षा की जाएगी तथा इस अधिनियम के उपबंध यथासाध्य तदनुसार इस प्रकार लागू होंगे मानो ऐसी विवरणी धारा 139 के अधीन दी जानी अपेक्षित है ;

(ख) उस पूर्ववर्ष से जिसमें ऐसी तलाशी या अध्यपेक्षा की जाती है, सुसंगत निर्धारण वर्ष से ठीक पूर्व छह निर्धारण वर्षों की कुल आय का निर्धारण या पुनर्निर्धारण करेगा :

परंतु निर्धारण अधिकारी ऐसे छह निर्धारण वर्षों के भीतर आने वाले प्रत्येक निर्धारण वर्ष की बाबत कुल आय का निर्धारण या पुनर्निर्धारण करेगा :

परंतु यह और कि, यथास्थिति, धारा 132 के अधीन तलाशी लेने या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा करने की तारीख को लंबित इस धारा में निर्दिष्ट छह निर्धारण वर्षों की अवधि के भीतर आने वाले किसी निर्धारण वर्ष से संबंधित निर्धारण या पुनर्निर्धारण, यदि कोई हो, का उपशमन होगा ।

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषणा की जाती है कि,—

(i) इस धारा में उपबंधित अन्य बातों के सिवाय, धारा 153ख और धारा 153ग, इस अधिनियम के सभी अन्य उपबंध इस धारा के अधीन किए गए निर्धारण को लागू होंगे ;

(ii) इस धारा के अधीन किसी निर्धारण वर्ष की बाबत किए गए किसी निर्धारण या पुनर्निर्धारण में, ऐसे निर्धारण वर्ष को लागू दर या दरों पर कर प्रभार्य होगा ।

धारा 153क के अधीन निर्धारण पूरा करने के लिए समय-सीमा।

153ख. (1) धारा 153 में किसी बात के होते हुए भी निर्धारण अधिकारी,—

(क) धारा 153क के खंड (ख) में निर्दिष्ट छह निर्धारण वर्षों के भीतर आने वाले प्रत्येक निर्धारण वर्ष की बाबत उस वित्तीय वर्ष के अंत से, दो वर्ष की अवधि के भीतर, जिसमें धारा 132 के अधीन तलाशी के लिए या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा के लिए प्राधिकारों में से अंतिम को निष्पादित किया गया था, निर्धारण या पुनर्निधारण का आदेश करेगा ;

(ख) उस पूर्ववर्ष से जिसमें धारा 132 के अधीन तलाशी ली जाती है या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा की जाती है, सुसंगत निर्धारण वर्ष की बाबत उस वित्तीय वर्ष के अंत से दो वर्ष के भीतर, जिसमें धारा 132 के भीतर तलाशी या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा के लिए प्राधिकारों में से अंतिम का निष्पादन किया गया था, निर्धारण या पुनर्निर्धारण का आदेश करेगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनो के लिए परिसीमा की अवधि की संगणना करने में,—

(i) वह अवधि, जिसके दौरान निर्धारण की कार्रवाई पर किसी न्यायालय के आदेश या व्यादेश के द्वारा रोक लगा दी जाती है; या

(ii) उस दिन से प्रारंभ होने वाली जिसको निर्धारण अधिकारी धारा 142 की उपधारा (2क) के अधीन उसके लेखाओं की लेखापरीक्षा का निदेश देता है और उस दिन को समाप्त होने वाली अवधि जिसको निर्धारिती से उस उपधारा के अधीन ऐसी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट देने की अपेक्षा की जाती है ; या

(iii) पूरी कार्रवाई या उसके किसी भाग को पुनः खोलने में या निर्धारिती को धारा 129 के उपबंध के अधीन पुनः सुनवाई का अवसर देने में लगा समय ; या

(iv) उस दशा में जहां धारा 245ग के अधीन समझौता आयोग के समक्ष किया गया कोई आवेदन उसके द्वारा खारिज कर दिया जाता है या उसके द्वारा कार्रवाई करने के लिए अनुज्ञात नहीं की जाती है, उस तारीख से प्रारंभ होने वाली जिसको ऐसा आवेदन किया जाता है और उस तारीख से समाप्त होने वाली अवधि, जिसको धारा 245घ की उपधारा (1) के अधीन आयुक्त द्वारा उस धारा की उपधारा (2) के अधीन आदेश प्राप्त किया जाता है,

अपवर्जित की जाएगी :

परंतु जहां उपर्युक्त अवधि के अपवर्जन के ठीक पश्चात् इस धारा के खंड (क) या खंड (ख) में निर्दिष्ट परिसीमा की अवधि, यथास्थिति, निर्धारण या पुनर्निर्धारण का आदेश करने के लिए निर्धारण अधिकारी के पास साठ दिनों से कम उपलब्ध है वहां ऐसी शेष अवधि को साठ दिन तक विस्तारित किया जाएगा और परिसीमा की उपर्युक्त अवधि को तदनुसार विस्तारित किया गया समझा जाएगा ।

(2) उपधारा (1) के खंड (क) और खंड (ख) में निर्दिष्ट प्राधिकार को,—

(क) तलाशी की दशा में, किसी ऐसे व्यक्ति की बाबत जिसके मामले में प्राधिकार का वारंट जारी किया गया है, बनाए गए अंतिम पंचनामे में अभिलिखित तलाशी पूरी होने पर,

(ख) धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा की दशा में, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लेखाबहियों या अन्य दस्तावेजों या आस्तियों की वास्तविक प्राप्ति पर,

निष्पादित किया गया समझा जाएगा ।

किसी अन्य व्यक्ति की आय का निर्धारण।

153ग. धारा 139, धारा 147, धारा 148, धारा 149, धारा 151 और धारा 153 में किसी बात के होते हुए भी, जहां निर्धारण अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि कोई धन, सोना-चांदी, आभूषण या अन्य बहुमूल्य वस्तु या चीज या लेखा बहियां या अभिगृहीत या अध्यपेक्षित दस्तावेज धारा 153क में निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति के हैं वहां लेखा बही, दस्तावेज या अभिगृहीत या अध्यपेक्षित आस्तियां ऐसे अन्य व्यक्ति पर अधिकारिता रखने वाले निर्धारण अधिकारी को सौंप दिए जाएंगे और वह निर्धारण अधिकारी प्रत्येक ऐसे अन्य व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करेगा और ऐसे अन्य व्यक्ति को सूचना जारी करेगा तथा धारा 153क के उपबंधों के अनुसरण में ऐसे अन्य व्यक्ति की आय का निर्धारण या पुनर्निर्धारण करेगा ।"।

धारा 155 का संशोधन।

60. आय-कर अधिनियम की धारा 155 की उपधारा (15) के पश्चात् और स्पष्टीकरण से पूर्व, निम्नलिखित उपधाराएं, 1 अप्रैल, 2004 से अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"(16) जहां किसी वर्ष के निर्धारण में किसी पूंजी आस्ति के अंतरण से, जो किसी विधि के अधीन अनिवार्य अर्जन के रूप में अंतरण है या ऐसा अंतरण है जिसके लिए प्रतिफल केंद्रीय सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अवधारित या अनुमोदित किया गया था, प्रोद्भूत पूंजी अभिलाभ की संगणना आस्ति के अंतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या उद्भूत हुए समझे जाने वाले प्रतिफल के पूर्ण मूल्य के रूप में, यथास्थिति, धारा 45 की उपधारा (5) के खंड (क) में निर्दिष्ट प्रतिकर या प्रतिफल को या खंड (ख) में निर्दिष्ट बढ़े हुए या और बढ़े हुए प्रतिकर या प्रतिफल के मूल्य को लेकर की जाती है और बाद में उस प्रतिकर या प्रतिफल को किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी द्वारा कम कर दिया जाता है वहां निर्धारण अधिकारी निर्धारण के आदेश को संशोधित करेगा जिससे कि न्यायालय, अधिकरण या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार कम किए गए प्रतिकर या प्रतिफल को प्रतिफल के पूर्ण मूल्य के रूप में लेकर पूंजी लाभ की संगणना की जा सके ; और धारा 154 के उपबंध, जहां तक हो सके, उसे लागू होंगे तथा चार वर्ष की अवधि की संगणना उस पूर्ववर्ष के, जिसमें प्रतिकर को कम करने वाला आदेश न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी द्वारा पारित किया गया था, अंत से, की जाएगी ।

(17) जहां किसी निर्धारिती को किसी निर्धारण वर्ष में किसी पेटेंट की बाबत धारा 80ददख के अधीन कोई कटौती अनुज्ञात की गई है और बाद में पेटेंट अधिनियम, 1970 के अधीन नियंत्रक या उच्च न्यायालय के आदेश द्वारा,— 1970 का 39

(i) पेटेंट प्रतिसंहृत किया गया था, या

(ii) निर्धारिती के नाम को उस पेटेंट की बाबत पेटेंटी के रूप में पेटेंट रजिस्टर से निकाल दिया गया था,

वहां उस अवधि के लिए, जिसके दौरान पेटेंट प्रतिसंहृत किया गया था या उस अवधि के लिए जिसके लिए निर्धारिती का नाम उस पेटेंट की बाबत पेटेंटी के रूप में निकाला गया था, दिए गए स्वामिस्व के रूप में आय से कटौती गलत तौर पर अनुज्ञात की गई समझी जाएगी और निर्धारण अधिकारी, इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए निर्धारिती की कुल आय पुनःसंगणित कर सकेगा और आवश्यक संशोधन कर सकेगा तथा धारा 154 के उपबंध नियंत्रक उस धारा की उपधारा (7) में विनिर्दिष्ट चार वर्ष की कालावधि की गणना उस पूर्ववर्ष के जिसमें पेटेंट अधिनियम, 1970 की, यथास्थिति, धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट नियंत्रक या उपधारा (1) के खंड (i) में निर्दिष्ट उच्च न्यायालय का ऐसा आदेश पारित किया गया था, अंत से की जाएगी, जहां तक हो सके उसको लागू होंगे ।'। 1970 का 39